# कार्यालयः जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास बरेली।

पत्रांक C-2650/जि0का0का0/बा0वि0परि0/विज्ञप्ति/2025–26 दिनांक 18.11.2025

## आंगनवाड़ी सहायिका के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/ 58–1–2025 (197687) बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, अनुभाग लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद बरेली के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना– आलमपुर जाफराबाद,बहेड़ी,भदपुरा,भोजीपुरा,भुता,बिथरी चैनपुर, दमखोदा, फरीदपुर, फतेहगंज पश्चिमी, क्यारा,मझगवां,मीरगंज,नवाबगंज,रामनगर, शेरगढ़ एवं शहर बरेली में आंगनबाड़ी सहायिका के चयन हेतु मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर पात्र महिला अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

| क्र.सं0 | परियोजना का नाम | आंगनवाड़ी सहायिका के कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति/जनताति | अन्य पिछड़ा वर्ग | सामान्य/ अनारक्षित | कुल रिक्त पदों की सं0 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | आलमपुर जाफराबाद | 11 | 13 | 26 | 50 |
| 2 | बहेड़ी | 16 | 17 | 39 | 72 |
| 3 | भदपुरा | 4 | 3 | 9 | 16 |
| 4 | भोजीपुरा | 6 | 13 | 23 | 42 |
| 5 | भुता | 11 | 20 | 32 | 63 |
| 6 | बिथरी चैनपुर | 4 | 11 | 19 | 34 |
| 7 | दमखोदा | 5 | 3 | 9 | 17 |
| 8 | फरीदपुर | 11 | 18 | 28 | 57 |
| 9 | फतेहगंज पश्चिमी | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 10 | क्यारा | 5 | 11 | 14 | 30 |
| 11 | मझगवां | 18 | 28 | 48 | 94 |
| 12 | मीरगंज | 4 | 5 | 13 | 22 |
| 13 | नवाबगंज | 9 | 12 | 27 | 48 |
| 14 | रामनगर | 4 | 9 | 18 | 31 |
| 15 | शेरगढ़ | 8 | 15 | 21 | 44 |
| 16 | बरेली/शहर | 10 | 9 | 28 | 47 |
| | योग– | 135 | 198 | 372 | 705 |

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार/आंगनवाड़ी केन्द्रवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण कलेक्ट्रेट,विकास भवन,तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है साथ ही विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

### विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
2. आंगनवाड़ी सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी एवं अधिकतम योग्यता परास्नातक होगी।
3. आंगनवाड़ी कार्यकत्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। कटऑफ डेट का निर्धारण दिनांक 01 जुलाई 2025 होगा/आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
4. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्रामसभा की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्यायपंचायत का स्थायी निवासीहोना अनिवार्य होगा। नगरीय क्षेत्र में

रिक्त पदों पर आवेदन करते समय आनलाइन जारी निवास प्रमाण पत्र में सम्बन्धित वार्ड क्रमांक/संख्या एवं सम्बन्धित वार्ड का नाम अनिवार्य रुप से अंकित होना चाहिए।

**चयन वरीयता**

(I) उसी ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

(II) ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यकता महिला।

(III) विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही–

(I) उसी ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

(II) ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यकता महिला।

(III) विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

5. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/समबन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगें।
6. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा नर्गत शासनोदश संख्या–3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिनका आनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
7. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगें जिनका आनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
8. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्निधारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर 2025 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु का अनुपालन किया जायेगा।
9. आवेदन पत्र विभागयी वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर आनलाइन व सही–सही सावधनीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा आनलाइन फार्म में किया गया हो।
10. आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 08.12.2025 होगी।
11. कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑनलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होगें। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
12. रिक्त पदों का विवरण कलेक्ट्रेट परिसर, विकास भवन परिसर, तहसील परिसर, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सूचना पट, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों के सूचना पट एवं विभागीय वेबसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर देखा जा सकता है।

नोटः– रिक्तियों के सम्बन्ध में यदि कोई त्रुटि होगी तो चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। रिक्त पदों पर भर्ती करने अथवा न करने/भर्ती निरस्त करने का अधिकारी चयन समिति में निहित होगा।

(मनोज कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
बरेली।

CamScanner

पृष्ठांकन सं0– C-2650 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
4. समस्त चयन समिति सदस्य जनपद बरेली।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद बरेली।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)बरेली को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को (NIC) की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना अधिकारी जनपद बरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति दो समाचार पत्रों (एक स्थानीय स्तर एवं एक प्रदेश स्तर ) में प्रकाशित कराने की कृपा करें।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद बरेली को इस निर्देश के साथ कि रिक्त केन्द्रों की विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण कलेक्ट्रेट परिसर, तहसील परिसर, विकास भवन परिसर, एवं खण्ड विकास कार्यालय के सूचना पट एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करवाते हुए सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय बरेली को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

18/11/025

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बरेली

CamScanner